ISSN 2278-8808 SJIF 2015: 5.403
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

कानूनी अधिकारों के प्रति हनुमानगढ़ जिले की महिलाओं की जागरुकता का अध्ययन

अनिता कुमारी

शोध अध्येता, टांटिया वि"वविद्यालय, श्री गंगानगर एवं व्याख्याता, श्री गुरु नानक खालसा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हनुमानगढ़ (राज.)

Abstract

स्वतंत्र भारत में ''भारतीय संविधान'' ने नारी को समकक्षता प्रदान करने हुए घोषित किया कि ''राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।'' नारी का त्याग व बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य नीधि है। समाज में जिस प्रकार पुरूष को महत्त्वपूर्ण माना जाता है वैसे ही वर्तमान सन्दर्भ में नारी का स्थान भी अद्वितीय है। समाज में महिलाओं को उच्च ओहदा एवं उचित स्थान दिलाने के लिए उन्हें संगठित रूप में, शक्तिरूप में आज प्रस्तुत किया जाना बहुत आव"यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सन् 2001 को महिला स"ाक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। भारतीय संविधान में नागरिकों के 7 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। परन्तु संविधान के लागू होने के 66 वर्ष बाद आम जन को ये अधिकार कितने मिल पाये हैं इसका वि"लेषण किया गया है। इस अध्ययन हेतु राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की 100 महिलाओं का चयन किया है। इस अध्ययन में अधिकतर महिलाओं पाया है कि जागरुकता का अभाव ही सब बुराईयों की जड़ हैं।

मुख्य भाब्द *: कानूनी अधिकार, हनुमानगढ़, महिला, जागरुकता*

Scholarly Research Journal's ***is licensed Based on a work at*** *www.srjis.com*

प्रस्तावना

प्राचीन काल से उत्तर वैदिक काल तक क्षेत्र में भी शिष्ट व लोक साहित्य दोनों में नारी के त्याग, बलिदान, शौर्य व ममत्व, सहिष्णुता व उदारता व सचित्रण मिलता है। जहाँ नारी को गौरव दिया जाता है। उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाती है और उसको समाज निर्माण में पुरूषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। वि"व का इतिहास बतलाता है कि पुरूष की सफलता क पीछे किसी न किसी रूप में नारी की प्रेरणा होती है। नेहरू जी ने कहा है– "एक बालक को शिक्षित करने का मतलब है एक व्यक्ति को शिक्षित करना है जबकि एक बालिका को शिक्षित करन का मतलब सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करना है। दरअसल एक बालिका की समुचित शिक्षा–दीक्षा तो एक दीपक के जलाने के समान है। यह दीपक प्रकाश तो प्रदान करता ही है, साथ ही इसकी लौ से अनवरत नये–नये दीपक भी जलते रहते है जो इस प्रकाश को कई गुना बढ़ाते चले जाते है।" भारत में नारी को परदे और घर से बाहर लाने के लिए महात्मा गाँधी के करिश्माई व्यक्तित्व की शक्ति और अपील कारगर रही थी। बहुत सी महिलाओं ने आज वि"व में अपना नाम कमाया है जिनकी मेहनत, लगन पर आज पूरे भारत

को उन पर गर्व है। आज हर क्षेत्र में नारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है जो गौरव की बात है। अब पहले जैसा नहीं रहा कि वह केवल पुरूष पर ही निर्भर रहती हैं। एक जमाना था जब स्त्री कभी पिता, पति, भाई या फिर बेटे पर निर्भर रहती थी। उनके अनुसार ही अपना जीवन जीना पड़ता था। लेकिन धीरे–धीरे वक्त बदला हालात बदले और नारी भी आगे और आगे बढ़ती चली गयी। आज वह अपने बलबूते पर अपना जीविकोपार्जन कर सकती है।

इन सबके बावजूद भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो कहने को तो काम करती हैं लेकिन उनके रूपयों पर उनका कोई हक नहीं होता क्योंकि उनके रूपये घरवाले ले लेते हैं। आर उसे अपने आप पर निर्भर होने के बावजूद भी अपने कमाये हुए रूपयों के लिए भी उसे हाथ फैलाने पड़ते हैं। स्त्रियों/कन्याओं का व्यापार एवं दुर्व्यवहार एक गम्भीर मुद्दा होता जा रहा है। भारत में न केवल बेगार, बल्कि स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार भी धनी लोगों का फैशन रहा है। इसे कभी निर्धनता, धर्म, और तबके की आड़ में औचित्यपूर्ण माना गया तो कभी भूख और लाचारी की आड़ में। बहुत से ऐसे कार्य स्थल हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार महिलाओं को पुरूषों के समान कार्य, समान वेतन आदि देने के नियम बनाये, साथ ही ऐसे अधिनियम भी बनाये जिनमें महिलाओं को आरक्षण वि"ोष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस सन्दर्भ में इन्दिरा गाँधी ने कहा है कि ''मैं महिलाओं की स्वतंत्रता पर उतना ही वि"वास करती हूँ जितना मैं पुरूषों की स्वतंत्रता पर करती हूँ। पुरूष और महिलाएं मिलकर एक बेहतर समाज और बेहतर वि"व की रचना में मदद कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में जाति, लिंग, धर्म और दल का कोई प्र"न ही नहीं उठना चाहिए।''

भारतीय संविधान में नागरिकों के 7 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। अनुच्छेद 14 से 18 मे नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। जिनमें कई तरह की समानता नागरिकों को देने की बात कहीं गयी है। महिलाओं में सामाजिक चेतना प्रवाहित करने, कुरीतियों को समाप्त करने तथा कुप्रथाओं के विरूद्व सरकारी अधिनियम लाये गये हैं। इनमे कानूनों के समक्ष समानता, अवसर की समानता, सामाजिक समानता, अस्पृ"यता का निषेध, उपाधियों का निषेध आदि शामिल है। संविधान को लागू हुये 66 वर्ष बीत जाने के बाद आम महिला को ये अधिकार कितने मिल पाये हैं इसके वि"लेषण की जरूरत है। स्त्री और पुरूष के बीच की असमानता हमारे रोजमर्रा के जीवन का निर्धारक व प्रमुख कारक है और इसलिए इसे खत्म करने का प्रयास भी रोजमर्रा के स्तर पर ही होना चाहिए। विभिन्न सामाजिक रूढ़ियाँ एवं अंधविश्वास बालिका शिक्षा के अवसरों को बाधित करती है। जागरुकता के अभाव में राजस्थान राज्य की आधी स अधिक महिलाएँ निरक्षर है उन्हें साक्षर या शिक्षित करने के लिए नीति निर्माताओं को ठोस प्रयास करने की जरुरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सन् 2001 को महिला स"ाक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया।

अध्ययन की आवश्यकता व महत्व

ग्यारहवीं शताब्दी से अठाहरवीं शताब्दी तक के काल में भारत में महिलाओं की स्थिति में अत्यन्त ह्रास हुआ। इस काल में लड़कियों की शिक्षा पर स्वतः ही परदा पड़ गया। सुविधा सम्पन्न समाज के उच्च वर्ग की स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही होती थी। लड़कियों को संपति से वंचित कर दिया। पालन पाषण में भेदभाव और उसे पराया धन समझ जाने लगा और महिलायें पूर्ण रूपेण पुरुषों पर आश्रित हो गई। और उनकी इस स्थिति को सारा समाज भारतीय संस्कति का अंग मानने लगा। परम्परायें, कुरीतियों के रूप में सांस्कृतिक विरासत बनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने लगी। वैदिक काल में समाज को अपनी विद्धता शौर्य तथा त्याग से प्रभान्वित करने वाली नारी निर्बलताओं की प्रतीक बन गई। नारी के इस रूप ने समाज में नारी को कभी भी ऐसा स्थान नहीं दिया जिससे नारी स्वयं को पुरुष के समान भागीदार मान सके। नारी दशा सुधारने के लिये अनेक समाज सुधारकों ने आंदोलन किये।

महिला जागरुकता सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। बालिकाओं के लिए शिक्षा एक श्रेष्ठ लक्ष्य है। स्थितियाँ इतनी विपरीत हैं कि आम महिला सड़कों पर अकेले नहीं चल सकती। अतः उसे अपने भाई, माँ–बाप के साये में ही चलना पड़ता है, जहाँ वह गुलामी महसूस करती है। हम इक्कीसवीं सदी के आधुनिक युग में जी रहे हैं। एक महाशक्ति के रूप में भारत अपने को साबित कर रहा है। यह युग सूचना की क्रांति और लोकतंत्र के मूल्यों का देश है जहाँ स्वतत्रंता ओर स्वेच्छापूर्वक जीवन जीने का हक सबको हासिल है। स्त्रियों के शोषण, अन्याय, दुर्व्यवहार को ऐतिहासिक रूप से ही देखा जाता है और आज के समाज में इनसे मुक्त हो जाने की बात कही जाती है कि आज महिलायें स्वतंत्र हैं पर वास्तविकता कुछ और ही कहती है। आज भी निर्धनता और विवशता बहुत सी स्त्रियों को देह व्यापार की ओर उन्मुख किये हुए है। देश में बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराया जा रहा है। सामाजिक, धार्मिक कुरीतियाँ भी इस घिनौने व अमानवीय व्यवहार को जारी रखने में मजबूत हिस्सा बनती जा रही हैं।

बालिकाओं के साथ हो रहे पक्षपात का हल सिर्फ शैक्षिक व्यवस्था से नहीं हो सकता। महिलाओं के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महिला जागरुकता के माध्यम से एक सकारात्मक भूमिका अदा की जा सकती है। पाठशाला ही वह संस्था है जो हमें एक दूसरे की संस्कृति का ज्ञान करवाती है। यही लड़कियाँ स्वाभिमान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता और कौशल जैसे गुण ग्रहण करती है। शिक्षा पाकर वे अपनी इच्छानुसार जीवन जीने और अपना सही रास्ता चुनने की ताकत भी पाती है। शिक्षित माँ ही आने वाली पीढ़ी को कुशल व आत्मनिर्भर बना सकती है। जिसस परिवार, समाज, राष्ट्र, लाभान्वित हो सके यह तभी हो सकेगा जब महिला जागरुकता होगी तो संतान शिक्षित होगी और परिवार श्रेष्ठ होगा, परिवारों के श्रेष्ठता से समाज श्रेष्ठ बनेगा। वर्तमान में राजस्थान में आधे से भी कम महिलाएँ साक्षर है। इसका मूल कारण यह है कि शिक्षा का प्रसार भली भाँति नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के 68 वर्षो में महिलाओं की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है। योजनाबद्ध विकास के लक्ष्य प्राप्त करने

के लिए महिला शिक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। पढो लिखी महिलायें पुरुषों के समान अपने राजनैतिक, सामाजिक अधिकारों की विषमता के लिए निरन्तर आंदोलित रही हैं। समाज में महिलाओं को उच्च ओहदा एवं उचित स्थान दिलाने के लिए उन्हें संगठित रूप में, शक्तिरूप में आज प्रस्तुत किया जाना बहुत आव"यक है।

शोध अध्ययन के उद्े"य

इस समस्या पर शोध कार्य करने के लिए निम्नांकित उद्े"यों को रखा है–

1. हनुमानगढ़ जिले में कानूनी अधिकारों के प्रति महिला जागरुकता को जानना।
2. जिले में कानूनी अधिकारों के प्रति महिला जागरुकता मं बाधक तत्वों को जानना।
3. कानूनी अधिकारों के प्रति महिला जागरुकता को बढाने के लिए सुझाव देना।

क्षेत्र परिसीमन

समय व आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखते निम्नांकित क्षेत्र को अध्ययन के अन्तर्गत रखा गया। इस अध्ययन हेतु राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की महिलाओं का चयन किया है। इस अनुसंधान कार्य में जिले की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को लिया गया।

न्यादर्श

हनुमानगढ़ जिले की 100 (50 ग्रामीण और 50 शहरी) महिलाओं को यादृच्छिक प्रकार से (Randomly) न्याद"र्ा में सम्मिलित किया गया।

भाोध विधि, प्रविधि एवं उपकरण

कानूनी अधिकारों के प्रति महिला जागरुकता के अध्ययन हेतु अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया। इस शोध अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली महिलाओं के विचारों को 'कानूनी अधिकार संबंधी महिला जागरुकता मापनी' की सहायता से एकत्रित किया गया और विषयवस्तु का वि"लेषण किया गया।

सांख्यिकीय प्रविधि

इस शोध कार्य में निम्नांकित विवरणात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया गया।

शोध अध्ययन के मुख्य निश्कर्श

प्रस्तुत शोधकार्य में दत्तों का वि"लेषण तथा विवेचन करने के प"चात् कुछ सम्प्राप्तियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर निष्कर्ष निम्नांकित हैं–

- 11.00 प्रति"ात ग्रामीण और 27.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं ने बताया है कि जब भी उन्हें समय मिलता है, तो उसका उपयोग महिला चेतना के कार्यो में करती हैं।
- 17.00 प्रति"ात ग्रामीण और 64.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं ने कहा है कि विभिन्न प्रकार की खरीददारी के समय सामान का बिल लेती हैं।

- 19.00 प्रतिशत ग्रामीण और 69.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं के अनुसार किसी सेवा में व्यवधान होन पर उपभोक्ता मंच में ि"ाकायत की जा सकती है।
- 21.00 प्रतिशत ग्रामीण और 62.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं ने बताया है कि बस व रेल में महिलाओं के लिए सरकार द्वारा सीटों के आरक्षण से वे भली भांति परिचित हैं।
- 22.00 प्रतिशत ग्रामीण और 45.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं ने अपनी राय में ि"ाक्षा के अधिकार व महिला आरक्षण से भली भांति परिचित बताया है।
- 33.00 प्रतिशत ग्रामीण और 81.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं ने कहा है कि किसी महिला को काम पर जाने से रोकने पर कानून का सहारा लेना चाहिए।
- 63.00 प्रतिशत ग्रामीण और 66.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं ने कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करने, गलत संकेत व टिप्पणी करने पर पुलिस रिपोर्ट करवाएंगी।
- 7.00 प्रतिशत ग्रामीण और 26.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं को पता है कि भ्रुण हत्या के अपराधी को धारा 313 में उम्र कैद की सजा ह।
- 75.00 प्रतिशत ग्रामीण और 88.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं ने माना है कि लड़के की चाहत में बालिका भ्रुण हत्या करना अपराध है।
- 82.00 प्रतिशत ग्रामीण और 72.00 प्रति"ात शहरी महिलाएं घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 से परिचित नहीं पायी गयी।
- 85.00 प्रतिशत ग्रामीण और 67.00 प्रति"ात शहरी महिलाएं रास्ते जाते या काम के दौरान किसी महिला से छेड़छाड़ करने पर अपराध साबित होने पर अधिकतम दो साल की सजा के प्रावधान से परिचित नहीं पायी गयी।
- 85.00 प्रतिशत ग्रामीण और 96.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं ने कहा है कि अनुसार जागरुकता का अभाव ही सब बुराईयों की जड़ हैं।
- 9.00 प्रतिशत ग्रामीण और 26.00 प्रति"ात शहरी महिलाओं ने कहा है कि किसी महिला को पुलिस सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्थ के बाद पूछताछ के लिए स्टे"ान नहीं ले जा सकती।
- सभी महिलाओं ने बताया है कि हमारे देश में सामाजिक कुरीतियों व अपराधों को दूर करने में महिला जागरुकता महत्वपूर्ण है।

कानूनी अधिकारों के प्रति महिला जागरुकता में बाधक तत्व

प्रस्तुत शोध कार्य में वि"लेषण तथा विवेचन करने के प"चात् कानूनी अधिकारों के प्रति महिला जागरुकता में बाधक तत्व पाए गये, जो निम्नांकित हैं–

- पुरुष प्रधानता का होना।
- घर के कार्य की अधिकता

- शिक्षा का अभाव होना।
- रुचि का अभाव होना।
- कानूनों का प्रभावी ढ़ंग लागू न होना।
- कानूनी सहारा लेने वाली महिलाओं को रुढ़िवादियों द्वारा अच्छा नहीं मानना।

भावी शोध कार्य के सुझाव

वर्तमान शोधकार्य के आधार पर यह आव"यक समझा गया कि शोधकर्त्ता भविष्य में आने वाले शोधकर्त्ताओं के लिए कुछ ऐसे सुझाव प्रस्तुत करे, जिनके आधार पर अन्य शोध कार्य की योजना एवं क्रियान्वित करने की पद्धति का अवलोकन किया जा सके।

1. यह शोध कार्य राजस्थान प्रान्त व अन्य किसी प्रान्त के महिला–पुरुषों पर तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी किया जा सकता है।
2. राजस्थान में जिला स्तर पर गैर–कामकाजी महिलाओं की कानूनी अधिकारों के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना।
3. व्यवसाय करने वाली व घर में काम करने वाली महिलाओं की कानूनी अधिकारों के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन का प्रभाव

किसी भी अध्ययन का शैक्षिक प्रभाव उसकी सार्थकता का द्योतक होता है। प्रस्तुत समस्या के अध्ययन से भावी महिलाओं में जागरुकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। इस अध्ययन से महिला जागृति की उपयोगिता एवं आवश्यकता की जानकारी हो सकेगी। बालिकाओं के शिक्षित होने से उनके चरित्र व्यवहार के संबंध में बनी उनकी संकीर्ण विचारधारा का अन्त हो सकेगा और इस बात की जानकारी हो सकेगी कि पुरुष के साथ–साथ महिला जागरुकता भी जरूरी है। इससे महिला जागरुकता को बढ़ावा देने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त होने से इसके मार्ग की बाधाओं को दूर किया जा सकेगा। महिला जागरुकता के क्षेत्रों का पता लगाकर उन्हें यह सुझाव दिया जायेगा कि वे संकीर्ण मानसिकता को दूर कर महिला विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करें। कई बार कानून की आड़ में स्त्रियाँ भो तो पुरूषों का शोषण करती है। सभी के साथ न्याय होना चाहिए और उस पर चुप्प न होकर शोषण के विरुद्व लड़ना चाहिए। इस अध्ययन से वे अपने परिवार व समाज से भावात्मक रूप से जुड़ सकेंगे तथा अपनी समस्याओं का उचित हल कर सकेंगे। जिससे जीवन स्तर में गुणात्मक सधार होगा, जो कि वर्तमान समय की मांग है।

संदर्भ –

बेस्ट, जे. डबल्यु (1981). शिक्षा में अनुसंधान, नई दिल्लीः प्रेन्टिस हाल ऑफ इन्डिया प्रा. लिमिटेड.

श्रीवास्तव, डी. एन. (1996), सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, आगराः साहित्य प्रकाशन.

किरनपाल, प्रेम (1981). वैल्यूज इन एजूकेशन. नई दिल्लीः एनसीईआरटी.

चक्रवती, हरद्वार ''भारतीय सामाज में नारी शिक्षा का महत्व'' विद्यामेघ पत्रिका, विद्या प्रकाशन, मेरठ, 2007(12).

गप्त, नत्थुलाल (2000). मूल्यपरक शिक्षा और समाज, नई दिल्ली, नमन प्रकाशन.

गुप्ता, मधु (2000). शिक्षा संस्कार एवं उपलब्धि, नई दिल्लीः क्लासिकल पब्लि"ांग कम्पनी.

शिखा, ''धर्म"ाास्त्र में शक्ति सम्पन्न रही है नारी'' 9 जनवरी 2008, दैनिक नवज्योति (परिवे"ा परि"िाष्ट)